

## भारत में फेसयिल रकिंगनशिन टेक्नोलॉजी का वनियिमन

### प्रलिमिंस के लयि:

फेसयिल रकिंगनशिन टेक्नोलॉजी, सूचना का अधकिार, बायोमेट्रकि तकनीक, कृत्रमि बुद्धमितता

### मेन्स के लयि:

फेसयिल रकिंगनशिन टेक्नोलॉजी, भारत में FRT के प्रशासन की आवश्यकता, इसके नहितिरथ और उपयोग, FRT में चुनौतयिँ।

स्रोत: इकॉनोमिक टाइम्स

### चर्चा में क्योँ?

हाल ही में भारत सरकार के प्रमुख सार्वजनिक नीतथिकि-टैंक नीत आयोग ने देश में फेसयिल रकिंगनशिन टेक्नोलॉजी (Facial Recognition Technology- FRT) के उपयोग को वनियिमति करने के लयि व्यापक नीत और कानूनी सुधारोँ का आह्वान कयि है।


- गोपनीयता, पारदर्शता और जवाबदेही को लेकर बढ़ती चत्ताओँ के बीच इस कदम को एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है।

### भारत में FRT के उपयोग को वनियिमति करने हेतु क्या प्रस्ताव हैं?

- भारत में वनियिमन की स्थति:
  - वर्तमान में भारत में फेसयिल रकिंगनशिन टेक्नोलॉजी (FRT) के उपयोग को वनियिमति करने के लयि कोई व्यापक कानूनी ढाँचा मौजूद नहीं है।
- FRT को वनियिमति करने की आवश्यकता:
  - बहुआयामी चुनौतयिँ: FRT अन्य तकनीकोँ की तुलना में अलग-अलग चुनौतयिँ प्रस्तुत करता है, क्योँकि इसमें संवेदनशील बायोमेट्रकि डेटा को दूर से ही कैप्चर करने और प्रोसेस करने की क्षमता है। मौजूदा नयिम इन वशिषिट चत्ताओँ को पर्याप्त रूप से संबोधति नहीं कर सकते हैं।
  - उत्तरदायी वकिस सुनश्चिति करना: इसका उद्देश्य एक व्यापक शासन ढाँचा तैयार करना है जो भारत में FRT के उत्तरदायी वकिस और करयान्वयन को सुनश्चिति कर सके।
  - यह FRT के उपयोग से जुड़े जोखमिँ और नैतिक चत्ताओँ को कम करने के लयि महत्त्वपूर्ण है, जैसे- गोपनीयता का उल्लंघन, एल्गोरथिम संबंधी पूर्वाग्रह और नगिरानी शक्तयिँ का दुरुपयोग।
  - अंतरराष्टरीय वचिर नेतृत्व: सक्रयि वनियिमन से भारत FRT प्रशासन पर वैश्वकि वचिर नेता के रूप में उभरेगा तथा अंतरराष्टरीय वचिर-वमिरश और नीतयिँ को आकार देगा।
  - सार्वजनिक वशिवास को बढ़ावा देना: प्रभावी वनियिमन से प्रौद्योगिकी में सार्वजनिक वशिवास का नरिमाण होगा और वभिन्न कषेत्रों में इसके व्यापक रूप से अपनाए जाने में सहायता मलिंगी।
  - नवाचार और सुरकषा उपायोँ में संतुलन: सुधारोँ का उद्देश्य FRT नवाचार को बढ़ावा देने तथा व्यक्तगित अधकिारोँ एवं सामाजकि हतिोँ की रकषा के लयि आवश्यक सुरकषा उपाय लागू करने के बीच संतुलन बनाना है।
- प्रमुख प्रस्ताव:
  - उत्तरदायतिव का मानकीकरण:
    - एक वधिकि ढाँचा तैयार करना जो कषतपूरतके दायरे को परभिषति करता है और FRT की खराबी या दुरुपयोग से होने वाले नुकसान के लयि दायतिव स्थापति करता है। इससे ज़मिमेदार नयिोजन और वकिस को प्रोत्साहन मलिंगा।
  - नैतिक नरिीकषण:
    - FRT कारयान्वयन की देखरेख के लयि वविधि वशिषजता वाली एक स्वतंत्र नैतिक समति के गठन का प्रस्ताव रखा गया। यह समति प्रणाली के भीतर पारदर्शता, जवाबदेहता और संभावति पूर्वाग्रह के मुद्दोँ का नरिीकरण करेगी।
  - नयिोजन में पारदर्शता:
    - FRT प्रणालयोँ के नयिोजन के संबंध में स्पष्ट और पारदर्शी दशिा-नरिदेश अनविर्य करना। इसमें वशिषिट कषेत्रों में



# Biometrics Face Recognition - How does it Work?



## FRT प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में चर्चाएँ क्या हैं?

- **अशुद्धता, दुरुपयोग तथा गोपनीयता संबंधी चर्चाएँ:** FRT में गलत पहचान हो सकती है, विशेषरूप से जब अलग-अलग जातीय तथा लैंगिक समूहों की तुलना की जाती है। इसके परिणामस्वरूप योग्य उम्मीदवारों को गलत तरीके से अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- **नगरानी एवं डेटा संग्रहण के लिये FRT का व्यापक उपयोग, कानूनी ढाँचे की उपस्थिति में भी, डेटा गोपनीयता के साथ-साथ संरक्षण के उद्देश्यों के साथ टकराव उत्पन्न कर सकता है।**
- **नस्लीय तथा लैंगिक पूर्वाग्रह:** अध्ययनों से पता चलता है कि नस्लीय तथा लैंगिक आधार पर FRT सटीकता में असमानताएँ हैं, जो संभावित रूप से योग्य उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर देती हैं और सामाजिक पूर्वाग्रहों को मज़बूत करती हैं।
- **आवश्यक सेवाओं से बहिष्कार:** आधार प्रणाली के अंतर्गत बायोमेट्रिक प्रामाणीकरण में वफ़िलता के कारण लोग आवश्यक सरकारी सेवाओं की पहुँच से वंचित हो गए हैं।

डेटा संरक्षण कानूनों का अभाव: व्यापक डेटा संरक्षण कानूनों की कमी बायोमेट्रिक डेटा के संग्रह, भंडारण एवं उपयोग के लिये अपर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ, FRT प्रणाली को दुरुपयोग को अधिक संवेदनशील बनाती है।

- **नैतिक चर्चाएँ:** यह सार्वजनिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के साथ-साथ दुरुपयोग की संभावना के बारे में नैतिक प्रश्न भी उत्पन्न करता है। अनामता के ह्रास के साथ-साथ इस बात की भी चर्चा है कि FRT का उपयोग सामाजिक न्यंत्रण एवं वफ़िक के दमन के लिये किया जाएगा।

## अन्य देशों में FRT वनियमन

- **यूरोपीय संघ (EU): सामान्य डेटा संरक्षण वनियम (GDPR) एवं डेटा संरक्षण नरिदेश के अतिरिक्त, EU के पास एक AI अधिनियम है** जिसका उद्देश्य जोखिम-आधारित अनुपालन ढाँचे को नरिमित करना, FRT प्रणालियों को "उच्च जोखिम" के रूप में वर्गीकृत करना और साथ ही उन्हें कठोर अनुपालन आवश्यकताओं के अधीन करना है।
- **यूके, यूएस, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया:** इन देशों में FRT का वनियमन मुख्य रूप से उनके संबंधित डेटा संरक्षण एवं गोपनीयता कानूनों द्वारा नरिंतरित होता है।

## आगे की

- **मज़बूत कानूनी ढाँचा:** सार्वजनिक और नज़ि दोनों ही तरह के लोगों द्वारा FRT के इस्तेमाल को नयितरति करने वाले समर्पति कानून या वनियिमन स्थापति करना । इन कानूनों में FRT के इस्तेमाल के लए वैध उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परभिषति कथि जाना चाहिये, आनुपातकितता पर ज़ोर दथि जाना चाहिये और जवाबदेही की स्पष्ट रेखाएँ स्थापति की जानी चाहिये ।
- **नैतिक नरीकषण और शासन:** FRT की तैनाती के नैतिक नहितार्थों का आकलन करने, कार्यपरणाली संहति नरिधारति करने तथा अनुपालन सुनश्चिति करने के लथि स्वतंत्र नैतिक नरीकषण समतियिों के गठन की आवश्यकता है ।
- **पारदर्शति और डेटा सुरकषा:** सरकारी और नज़ि दोनों संस्थाओं के लथि FRT तैनाती का सार्वजनिक परकटीकरण अनविर्य बनाना तथा मज़बूत डेटा सुरकषा उपायों को सुनश्चिति करने के लथि FRT परशासन को भारत के आगामी डेटा सुरकषा ढाँचे के साथ संरेखति करना ।
- **पूरवाग्रह को वकिसति करना:** वशिष रूप से उच्च-दांव वाले अनुपरयोगों में FRT के नषिपकष और गैर-भेदभावपूरण उपयोग को बढ़ावा देने के लथि स्पष्ट दशिा-नरिदेश वकिसति करने की आवश्यकता है ।
- **वैश्वकि नेतृत्व:** वैश्वकि मानकों को आकार देने के लथि FRT शासन पर अंतरराषट्रीय चर्चाओं में सकरथि रूप से भाग लेना । वशि्व मंच पर ज़मिमेदार AI वकिस को बढ़ावा देने के लथि एक तकनीकी नेता के रूप में भारत की स्थतिकि लाभ उठाना ।

### दृषटि भेन्स परश्न:

परश्न: फेसथिल रकिंगनशिन टेकनोलॉजी परणालयिों को स्थापति करने से जुड़ी परमुख चतिाओं पर चर्चा कीजथि तथा पारदर्शति, जवाबदेही सुनश्चिति करने और संभावति पूरवाग्रहों को दूर करने के उपाय सुझाइए

## UPSC सविलि सेवा परीकषा, वगित वर्ष के परश्न

### ??????????:

परश्न. वकिस की वर्तमान स्थतिकि में कृतरमि बुद्धमित्ता (Artificial Intelligence), नमिनलखिति में से कसि कार्य को परभावी रूप से कर सकती है? (2020)

1. औदयोगकि इकाइयों में वदियुत् की खपत कम करना
2. सार्थक लघु कहानयिों और गीतों की रचना
3. रोगों का नदिान
4. टेकस्ट से स्पीच (Text-to-Speech) में परविरतन
5. वदियुत् ऊर्जा का बेतार संचरण

नीचे दथि गए कूट का परयोग कर सही उत्तर चुनथि:

- (a) केवल 1, 2, 3 और 5
- (b) केवल 1, 3 और 4
- (c) केवल 2, 4 और 5
- (d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (b)

परश्न. पहचान प्लेटफॉर्म 'आधार' खुला (ओपेन) "एप्लीकेशन प्रोग्रामगि इंटरफेस" (ए.पी.आई.) उपलब्ध कराता है । इसका क्या अभपिराय है? (2018)

1. इसे कसि भी इलेक्ट्रॉनकि उपकरण के साथ एकीकृत कथि जा सकता है ।
2. परतारकि (आईरसि) का परयोग कर ऑनलाइन प्रामाणीकरण संभव है ।

उपर्युत्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर: (c)

**??????:**

प्रश्न. "चौथी औद्योगिक क्रांति (डिजिटल क्रांति) के प्रादुर्भाव ने ई-गवर्नेन्स को सरकार का अवभाज्य अंग बनाने में पहल की है"। वविचन कीजिये। (2020)

प्रश्न: नविधात्मक श्रम के कौन से क्षेत्र हैं जनिहें रोबोट द्वारा स्थायी रूप से प्रबंधति कयिा जा सकता है? उन पहलों पर चर्चा कीजिये जो प्रमुख शोध संस्थानों में शोध को वास्तवकि और लाभकारी नवाचार के लयिे प्रेरति कर सकती हैं। (2015)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/regulating-facial-recognition-technology-in-india>

